



लोकपाल का क्षेत्राधिकार

प्रलिस के लयः

भारत का लोकपाल, [सवदेश दरशन योजना](#), बौध सरकटि, रामायण सरकटि, आध्यात्मक सरकटि, कार्मक और प्रशकषण वभाग (DoPT)

मेन्स के लयः

लोकपाल को और अधक प्रभावी बनाने के लयः उसे पर्याप्त शक्तयः सौपने से संबंघत मुददे एवं चतः।

[स्रोत: द हद्वः](#)

चरचा में कयः?

हाल ही में [भारत के लोकपाल](#) ने क्षेत्राधिकार की सीमाओं का हवाला देते हुए कहा कवः उत्तर प्रदेश में आत्महत्या से मरने वाले एक सरकारी अधकारी की पत्नी की याचका पर वचार नही कर सकता ।

- [सवदेश दरशन योजना](#) के तहत केंद्र सरकार की परयोजनाओं के समापन प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने के लयः अधकारी पर कथत तौर पर वरषिठों द्वारा दबाव डाला गया था ।

भारत के लोकपाल द्वारा क्या रुख अपनाया गया?

- उत्तर प्रदेश मामले में लोकपाल की क्षेत्राधिकार संबंधी सीमाएँ:
 - लोकपाल ने स्पष्ट कया कः उसके पास प्रमुख सचवि, पर्यटन एवं संस्कृति और उत्तर प्रदेश के महानदिशक के खलाफ शकायत दर्ज करने का अधकार नही है ।
 - कथत अपराधक गतविधयः से जुड़ा यह मुददा [अपराधक कानून और प्रक्रया के दायरे](#) में आता है, जसके कारण लोकपाल को यह घोषत करना पड़ा कवः याचका पर वचार नही कर सकता ।
- शकायत अग्रेषत करना:
 - अपने अधकार क्षेत्र की बाधाओं के बावजूद, लोकपाल ने आगे की जाँच के लयः शकायत को केंद्रीय पर्यटन सचवि को भेजकर एक कदम आगे बढ़ाया ।

सवदेश दरशन योजना:

- इसे वर्ष 2014-15 में देश में थीम आधारत पर्यटन सरकटि के एकीकृत वकः के लयः शुरू कया गया था । योजना के तहत पर्यटन मंत्रालय देश में पर्यटन बुनयःदी ढाँचे के वकः के लयः राज्य सरकारों को वत्तीय सहायता प्रदान करता है ।
- योजना का दूसरा चरण पहले 2023 में शुरू कया गया था । योजना के तहत पर्यटन को बढ़ावा देने के लयः महत्त्वपूर्ण सरकटि में शामिल हैं:
 - [बौध सरकटि](#)
 - [रामायण सरकटि](#)
 - [आध्यात्मक सरकटि](#)

लोकपाल क्या हैं?

- परचय:
 - लोकपाल और लोकायुक्त अधनयिम, 2013 में संघ के लयः लोकपाल और राज्यों के लयः लोकायुक्त की स्थापना का प्रावधान है ।
 - ये संस्थाएँ बना कसी संवैधानक स्थतः के वैधानक नकाय हैं ।
- कार्य:

- वे एक "लोकपाल" का कार्य करते हैं और कुछ सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों एवं संबंधित मामलों की जाँच करते हैं।

लोकपाल के अधिकार क्षेत्र और उसकी शक्तियों के अंतर्गत क्या आता है?

- **प्रधानमंत्री (PM) और मंत्रियों से संबंधित:**
 - लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में प्रधानमंत्री, अन्य मंत्री, संसद सदस्य (सांसद), समूह A, B, C और D अधिकारी तथा केंद्र सरकार के अधिकारी शामिल हैं।
 - लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में प्रधानमंत्री शामिल हैं लेकिन अंतरराष्ट्रीय संबंधों, सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले इसके अपवाद हैं।
 - संसद में कही गई किसी बात या वहाँ दिये गए वोट के मामले में लोकपाल के पासमंत्रियों और सांसदों के संबंध में कोई अधिकार नहीं है।
- **सविलि सेवकों और नौकरशाहों से संबंधित:**
 - इसके अधिकार क्षेत्र में वह व्यक्ति भी शामिल है जो केंद्रीय अधिनियम द्वारा स्थापतिकिसी भी सोसायटी या केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित/नियंत्रित किसी अन्य निकाय का प्रभारी (नदिशक/प्रबंधक/सचिव) है या रहा है और उकसाने, रशिवत देने या लेने के कृत्य में शामिल है।
 - लोकपाल अधिनियम के अनुसार सभी सार्वजनिक अधिकारियों को अपनी और अपने आश्रितों की संपत्ति एवं देनदारियों की जानकारी देना आवश्यक है।
- **केंद्रीय जाँच ब्यूरो (CBI) से संबंधित:**
 - इसके पास CBI पर अधीक्षण और नरिदेश देने की शक्तियाँ हैं।
 - यदि लोकपाल ने कोई मामला CBI को भेजा है, तो ऐसे मामले में जाँच अधिकारी को लोकपाल की स्वीकृति के बिना स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।

लोकपाल की कार्यप्रणाली के संबंध में क्या चिंताएँ हैं?

- **पूर्णकालिक अध्ययक की कमी:** मई 2022 से लोकपाल के पास कोई पूर्णकालिक अध्ययक नहीं है, जिससे इसके प्रभावी ढंग से कार्य करने की क्षमता के बारे में चिंताएँ बढ़ गई हैं।
- **भ्रष्ट अधिकारियों से निपटने में नषिकरयिता:** अपरैल 2023 में संसद में पेश की गई एक संसदीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार, लोकपाल ने "आज तक भ्रष्टाचार के आरोपी एक भी व्यक्ति पर मुकदमा नहीं चलाया है।"
 - लोकपाल कार्यालय द्वारा कार्रमिक और परशकिषण वभिग (DOPT) के पैनल को उपलब्ध कराए गए आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2019-20 के बाद से भ्रष्टाचार वरिधी निकाय को कुल 8,703 शकियातें मलीं, जनिमें से 5,981 शकियातों का निपिटारा कयिा गया।
 - बड़ी संख्या में शकियातें प्राप्त होने के बावजूद भ्रष्टाचार के लयिे कसिी पर मुकदमा नहीं चलाया गया है जो भ्रष्ट अधिकारियों के खलिाफ कार्रवाई करने की लोकपाल की क्षमता के बारे में चिंताओं को उजागर करता है।
- **पारदर्शिता की कमी:** कुछ वशिषज्जों ने लोकपाल की पारदर्शिता तथा उत्तरदायतिव की कमी के संबंध में भी आलोचना की है, जिसके बारे में उनका कहना है कि इससे लोकपाल की वशिषसनीयता एवं प्रभावशीलता कम होती है।

आगे की राह

- भ्रष्टाचार की समस्या से निपटने के लयिे लोकपाल की संस्था को कार्र्यात्मक स्वायत्तता एवं जनशक्ति की उपलब्धता दोनों के संदर्भ में सशक्त किया जाना चाहयि।
- अधिक पारदर्शिता, सूचना के अधिकार तक अधिक पहुँच तथा नागरिकों व नागरिक समूहों के सशक्तिकरण सहति एक अच्छे नेतृत्व की आवश्यकता है जो स्वयं को सार्वजनिक जाँच के अधीन करने के लयिे तत्पर हो।
- प्रशासनिक सुदृढता के लयिे लोकपाल की नयुक्ति ही अपने आप में पर्याप्त नहीं है। जाँच एजेंसियों के सशक्तीकरण मात्र से सरकार का आकार तो बढेगा कति ज़रूरी नहीं कि प्रशासन में सुधार हो।
 - सरकार द्वारा अपनाया गया नारा "नयूनतम सरकार, अधिकतम शासन" का अक्षरशः पालन किया जाना चाहयि।
- इसके अतिरिक्त, लोकपाल तथा लोकायुक्त को ऐसे लोगों से संबंधित वित्तीय, प्रशासनिक एवं कानूनी जाँच एवं उसकी रिपोर्ट तैयार करके मुक्त होने की आवश्यकता है, जिनके वरिद्ध जाँच करने तथा मुकदमा चलाने के लयिे उन्हें कहा गया है।
- लोकपाल तथा लोकायुक्त की नयुक्तियाँ पारदर्शी तरीके से की जानी चाहयि जिससे अनुचित अवधारणा वाले लोगों के प्रवेश की संभानाएँ कम हो सकें।
- कसिी एकल संस्थान अथवा प्राधिकरण में अत्यधिक शक्ति के संकेन्द्रण से बचने के लयिे उचित उत्तरदायी तंत्र के साथ वकिेन्द्रीकृत संस्थानों की बहुलता की आवश्यकता है।

?????:

प्रश्न. 'राष्ट्रीय लोकपाल कतिना भी प्रबल क्यों न हो, सार्वजनिक मामलों में अनैतिकता की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता।' वविचना कीजिये। (2013)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/jurisdiction-of-lokpal>

